न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.
अपील संख्या 207/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2016/00010)

बालकृष्ण अग्रवाल पुत्र स्व. श्री जगदीश चन्द्र जाति अग्रवाल निवासी 3–जे –33 जवाहर नगर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
अपीलान्ट

बनाम

पुरूषोतम दास प्रेमजानी पुत्र स्व. श्री शंकरदास जाति सिंधी निवासी 218 बी गोविन्द नगर (ईस्ट) आमेर रोड़ नेहरू सेवा सदन के सामने, तिपोलिया बाजार, जयपुर।
रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांकः 30.01.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 17.03.2008 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ निर्णय दिनांक 23.7.98 जिसके द्वारा प्रकरण तहसीलदार टिब्बी को रिमाण्ड कर जिला पुनर्वास अधिकारी गंगानगर के पत्र सं. 823 दिनांक 27.8.92 में वर्णित निर्णय दिनांक 12.7.82 व सनद सं. 3814 दिनांक 5.7.62 का अध्ययन कर उभय पक्ष को सुनवाई का व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर विधि सम्मत आदेश पारित करने का निर्देश दिया। जिसकी पालना में तहसीलदार टिब्बी द्वारा चुल्हाराम बनाम बालकृष्ण अपील को दर्ज रजिस्टर कर दोनो पक्षो को नोटिस जारी किये गये, तथा अपने निर्णय दिनांक 8.7.03 के द्वारा चक 5 टी.एल.डब्ल्यू.के प. नं. 229/284 कि. नं. 19–20 कुल 2–0 बीघा का खातेदारी का इन्तकाल चूल्हाराम के पक्ष में दर्ज करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। तहसीलदार टिब्बी के आदेश दिनांक 8.7.03 के विरूद्व अपीलान्ट बालकृष्ण ने अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ में अपील पेश कर आदेश दिनांक 8.7.03 को निरस्त करने का निवेदन किया, जिस पर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.3.2008 द्वारा तहसीलदार टिब्बी द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप नही करते हुए अपीलान्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बालकृष्ण की अपील को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।

4. रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक श्री बालकिशन शर्मा द्वारा अपील में रेस्पोडेन्ट पुरूषोतम दास को केवल एकल रेस्पोडेन्ट रखने का निवेदन करने पर उभय पक्ष की बहस सुनकर तथा अपीलान्ट के अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक द्वारा आपत्ति नही करने पर आदेश दिनांक 28.06.2023 द्वारा अपील में केवल पुरूषोतम दास को एकल रेस्पोडेन्ट रखने के आदेश दिये गये।

5. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि चक 3 टी.एल.डब्ल्यू तहसील टिब्बी के पत्थर नं. 242/289 के किला नं. 7 रकबा 0.05 बीधा 8 में 0.04 बीधा 9 में 0.03 बीधा नं. 12 ता 14 में 3 बीधा, 17 ता 20 में 4 बीधा पं. नं. 237/286 किला नं. 17 में 13 बिस्वा नं. 18 में 12 बिस्वा, 19 में 11 बिस्वा नं. 20 में 17 बिस्वा नं. 21 ता 25 कुल 15.6 बीधा एक व्यक्ति नूरप्यारा पुत्र अहमदीन जाति मुसलमान को अन्य भूमि के साथ आवंटित हुई जिसने अपनी उक्त नामान्तरित कृषि भूमि का बेचान अपीलार्थी को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 21.4.89 कर दिया जिसका इन्तकाल भी अपीलार्थी के नाम क्रमांक 26 दर्ज हुआ। भू प्रबन्ध संवत 2033 में 42 के मध्य विवादित खं. नं. 404 की भूमि कुल 7.12 बीधा में सें 5.12 बीधा एवं 2 बीधा भूमि पैमूद हुई अर्थात डोले में आ गई । चूंकि उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम नामान्तरित थी इसलिये 10 बीधा भूमि तबादले में अवार्ड जारी हुआ इसमें पं. नं. 230/285 कि. नं. 17 उदाराम पुत्र डूगरराम को पूर्व मे आवटित थी इस प्रकार अपीलार्थी के हक मे 9 बीधा का ही नाम दर्ज रहा। वंसीमल के बाद वारिस चूल्हाराम ने आवेदन किया कि सनद संख्या 3814 का अमल दरामद कर कब्जा दिया जावे। तहसीलदार टिब्बी ने चूल्हाराम को संनद अनुसार भूमि कब्जा प्रदान कर रिकार्ड मे अमलदरामद करने कब्जा चूल्हाराम को सोप दिया गया। जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगागनर ने पत्र क्रमांक 823 दिनांक 27.08.1992 को तहसीलदार टिब्बी को लिखा कि सनद

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संख्या 3814 दिनांक 5.7.62 व आदेश दिनांक 12.7.82 की पालना मे सनद संख्या 3814 दिनांक 15.7.62 के अनुसार चूल्हाराम के हक में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार ने पटवारी हल्का को अमलदरामद हेतु पत्र प्रेषित किया, पटवारी हल्का ने इन्तकाल सं. 252 का बालकृष्ण की खातेदारी हटाते हुए चूल्हाराम के नाम दर्ज करने का अंकन कर गिरदावर को तस्दीक हेतु प्रस्तुत किया। अपीलान्ट ने दिनांक 27.2.96 को एस.डी.एम हनुमानगढ के समक्ष आवेदन किया कि मेरी खातेदारी भूमि मुझे बिना सुने हटाई जा रही है व इन्तकाल सं. 252 स्वीकार न करने की इस्तदुआ की गई। एस.डी.एम. हनुमानगढ ने आदेश दिनांक 18.7.96 को तहसीलदार टिब्बी को आदेश प्रदान कर निर्देश दिया कि उभय पक्ष को सुनकर निर्णय पारित करें। तहसीलदार टिब्बी ने उभय पक्ष को सुनकर निर्णय दिनांक 6.3.97 पारित कर इंतकाल संख्या 252 निरस्त कर दिया। तहसीलदार टिब्बी ने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण जरनैल सिह व स्टेट के मध्य राजस्व मण्डल मे इस भूमि बाबत अपील विचाराधीन बताया और दिनांक 6.3.97 को निर्णय भी कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ अपील प्रस्तुत हुई। अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ ने अपील स्वीकार कर तहसीलदार को रिमाण्ड कर दिया। तहसीलदार टिब्बी ने बालकृष्ण को नोटिस जारी किया व बालकृष्ण ने इसका जवाब प्रस्तुत किया, तहसीदार टिब्बी के यहा सुनवाई में चलते पत्रावली 2.11.2000 व 7.7.2003 तक पेशी में नही रही अर्थात पेशी से हटा दी गयी और दिनांक 8.7.2003 को अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित कर दिये। बालकृष्ण बिना हाजिर हुए बहस दिखाई जबकि बालकृष्ण उस दिन उपस्थित नही था। तहसीलदार टिब्बी ने जिला पुर्नवास अधिकारी से रिपोर्ट नही ली ना अपीलान्ट को नोटिस जारी किया, बिना ज्यूडिशन जो 2 बीधा तबादला में मिली उसका फैसला कर दिया। अपीलान्ट ने तहसीलदार टिब्बी के आदेश दिनांक 8.7.03 के विरूद्व अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ में अपील पेश कर आदेश दिनांक 8.7.03 को निरस्त करने का निवेदन किया। अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ ने दिनांक 17.3.2008 को अपील खारिज कर दी। अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ ने अपील में मियाद के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बिन्दु पर बिना सुनवाई किये निर्णय पारित कर दिया, जबकि किसी अपील का निर्णय पारित करने से पूर्व मियाद के बिन्दु पर निर्णय पारित करना अनिवार्य था। इसके अलावा तहसीलदार टिब्बी ने दोनो पक्षो को सुनकर पत्रावली रिमाण्ड किया था, मामला कन्टेस्टेड था, जिसकी अपील संभागीय आयुक्त को धारा 135 (2) में होनी थी। अपर जिला कलक्टर को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नही था, उन्होने बिना क्षेत्राधिकार गलत फैसला कर दिया। अपील अगर गलत जगह पेश हो गई तो यह देखने का काम कोर्ट का है। अतः अपर जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश शून्य है। नूरप्यारा का आवटन खारिज नही हुआ है ना ही ऐसी कोई नकल पेश हुई है। साथ ही चूल्हाराम की मृत्यु दिनांक 26.6.2003 हो गया था। तहसीलदार टिब्बी के आदेश दिनांक 8.7.2003 मृतक के नाम से आदेश पारित हुआ है जो नल एण्ड वॉयस है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार टिब्बी का आदेश दिनांक 8.7.2003 एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 17.3.2008 को निरस्त फरमाया जावे, अथवा अपीलान्ट व अन्य प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार टिब्बी को रिमाण्ड किया जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1999 पेज 98, RRD 2011 पेज 386, RRD 2004 पेज 101, RRD 2019 पेज 510, RRD 2002 पेज 714 , RRD 1995 पेज 406, RRD 1989 पेज 340, RRD 1997 पेज 127, RRD 1984 पेज 186, एवं राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 धारा 135 पेज 307 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 27.11.1980 प्रस्तुत किया है वो इस प्रकरण पर लागू नही होते है, क्योकि अहमदीन के नाम से जमीन थी वो पाकिस्तान चला गया उस भूमि बाबत वह प्रकरण उच्च न्यायालय नई दिल्ली मे चला था, इस भूमि से वह प्रकरण रिलेटेड नही है अतः इस प्रकरण पर उच्च न्यायालय नई दिल्ली का निर्णय लागू नही होता है। अपीलान्ट ने नूरप्यारा पुत्र अहमदीन से उक्त भूमि खरीद करना बताया है जबकि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नूरप्यारा को जिस आदेश से भूमि अलोट हुई वह अलोट मेन्ट आदेश ही निरस्त हो गया है, क्योकि वह भूमि पूर्व में चूनाराम को अलोट थी, अपीलान्ट को अपील पेश करने का राईट नही है। केवल गुमराह करने के लिए अपील को गुमाफिरा कर पेश किया गया है। इसके अलावा अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में मियाद के बिन्दु एवं क्षेत्राधिकार पर प्रश्न लगा रहे है। जहा मेरिट पर निर्णय पारित होता है उसे मियाद मानकर ही फैसला किया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यो के आधार पर मैरिट पर निर्णय पारित किया है जो मियाद स्वीकार कर ही निर्णय माना जायेगा। अपीलान्ट स्वय ने धारा 135 (2) का केश तैयार कर स्वय अधीनस्थ न्यायालय में अपील धारा 5 के प्रार्थना के साथ पेश किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 17.03.2008 मेरिट पर निर्णय पारित किया । अतः अपीलान्ट द्वारा मियाद एव क्षेत्राधिकार पर उठाये गये प्रश्न खारिज योग्य है। अपीलान्ट केवल 2 बीधा भूमि पर ही बात करते है, उक्त भूमि का कब्जा आज भी बंशीलाल के पास है। तहसीलदार द्वारा खातेदारी का कोई अलग से आदेश नही दिया गया है। दिनांक 15.7.62 को सनद जारी हुई उस आदेश की पालना में इन्तकाल दर्ज हुआ है जब तक सनद खारिज नही होती है इन्तकाल खारिज नही किया जा सकता है। नूरप्यारा के निरस्त आदेश के विरूद्व कोई अपील पेश नही हुई है, वह अंतिम आदेश हो चुका है। अपीलान्ट की अपील में कोई बल नही है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण की भिन्नता के कारण इस प्रकरण पर लागू नही होते है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 17.03.2008 के विरूद्ध पेश हुई जिसमें तहसीलदार टिब्बी के आदेश दिनांक 8.7.03 द्वारा 5 टी.एल.डब्ल्यू के पं. नं. 229/284 कि.नं. 19–20 2 बीधा श्री चूल्हाराम के पक्ष मे इन्तकाल दर्ज करने के आदेश में कोई

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हस्तक्षेप नही करते हुए अपीलान्ट बालकृष्ण की अपील को खारिज किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया कि न्यायालय तहसीलदार टिब्बी व न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ में दोनो पक्षकारो द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है, तथा दोनो अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा उभय पक्ष को सुनकर निर्णय पारित किया गया है। सनद संख्या 2908 दिनांक 4.11.69 कें अनुसार 7.12 बीधा भूमि नूरप्यारा को आवंटन हुई। दिनांक 21.04.69 को नूरप्यारा द्वारा बालकृष्ण को बैचान कर दिया। वर्ष 1962 को उक्त भूमि चूल्हाराम के पिता बंशीमल को आवटित होना प्रतिवेदित किया गया है। जिसके अनुसार ग्राम तलवाड़ा के चक 3 टी.एल.डब्ल्यू में ख.नं. 404 की 7–12 बीधा भूमि चूल्हाराम के पिता बन्सीमल को आवंटन हुई। भू प्रबन्ध विभाग संवत् 2033–42 के दौरान इस 7–12 बीधा भूमि में से 5.11 बीधा भूमि चक चक 1 टीएलडब्ल्यू के पं. नं 242/289 के कि. नं. 12/.126, 13/.139, 14/.127, 17 ता 20/1.012 कुल 1.404 है0 भूमि पैमुद हुई। शेष 2 बीधा भूमि डोले में आने के कारण तबादला मे चक 5 टी एल डब्ल्यू के पं. नं. 229/284 कि. नं. 19–20 बालकिशन के खाते में चढ गई। नूरप्यारा का आवंटन निरस्त होने पर चक 1 टी एल डब्ल्यू की 5.11 बीधा भूमि चूल्हाराम के नाम दर्ज हो गई, पर 5 टी एल डब्ल्यू के पं. नं. 229/284 के किला नं. 17–20 की 2 बीधा का अमल दरामद चूल्हाराम के पक्ष में नही हो पाने कारण तहसीलदार द्वारा चूल्हाराम वल्द बन्सीमल के पक्ष में खातेदारी का इन्तकाल हेतु आदेश दिया है। इस प्रकार तहसीलदार टिब्बी व अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश उचित प्रतीत होता है, लिहाजा इसमें हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर